पटना उच्च न्यायालय में

2014 का आपराधिक विविध संख्या 48919

परिवाद सं.- 2948, वर्ष 2011 से उत्पन्न, थाना-कटिहार परिवाद जिला-कटिहार

==========

अनुराधा गुप्ता, पत्नी श्री मोहन लाल गुप्ता, निवासी ग्राम-नया तोला, तीनगछीया, थाना-कटिहार (नगर), जिला-कटिहार

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मोस्मत निर्मला देवी, स्वर्गीय दारोगा शुक्ला की पत्नी, ग्राम-तीनगछिया, वार्ड संख्या-44, थाना-कटिहार शहर, जिला-कटिहार की निवासी।

..... विपरीत पक्ष/पक्षों

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482

अभियुक्त-याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, के द्वारा संज्ञान तथा समन आदेश को अपास्त करने के माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लाया। मुख्य न्यायाधीश ने धारा 467, 468, 471 तथा 120-बी भा.दं.सं. के अंतर्गत संज्ञान लिया था जो कि सुलहनीय नहीं था।

निर्णित किया गया कि न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, जो न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के साथ-साथ न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिये है, पाया गया कि मामला मूल रुप से भूमि/संपत्ति विवाद से संबंधित है और जिस पक्ष ने जलसाजी का आरोप लगाया है, उसने शिकायतकर्ता ने समझौता कर किया है। ***योगेन्द्र यादव बनाम झारखंड राज्य,*** (2014)4 पी.एल.जे.आर. (एस.सी.)518 पर भरोसा किया गया।

पूरी अपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

[धारा 3, 9 तथा 10]

पटना उच्च न्यायालय में

2014 का आपराधिक विविध संख्या 48919

परिवाद सं.- 2948, वर्ष 2011 से उत्पन्न, थाना-कटिहार परिवाद जिला-कटिहार

==========

अनुराधा गुप्ता, पत्नी श्री मोहन लाल गुप्ता, निवासी ग्राम-नया तोला, तीनगछीया, थाना-कटिहार (नगर), जिला-कटिहार

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मोस्मत निर्मला देवी, स्वर्गीय दारोगा शुक्ला की पत्नी, ग्राम-तीनगछिया, वार्ड संख्या-44, थाना-कटिहार शहर, जिला-कटिहार की निवासी।

..... विपरीत पक्ष/पक्षों

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री कृष्ण चंद्र

राज्य के अधिवक्ताः श्री बी. एन. पांडे, एपीपी

==========

कोरम (समक्ष): माननीय न्यायमूर्ति श्री अहसनूद्दीन अमानुल्लाह

मौखिक निर्णय

तारीखः 14-05-2019

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से एपीपी को सुना।

2. विरोधी पक्ष सं.2 -शिकायतकर्ता पर नोटिस प्राप्ति के बावजूद , जब मामला सुनवाई हेतु लिया और सुना गया तो कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

3. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत अदालत का रुख किया हैः

"कि याचिकाकर्ता इस याचिका के माध्यम से दिनांकित 16.01.2012 आदेश को रद्द करने की मांग करता है जिसके फलस्वरुप और जिसके तहत विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 467,468,471 और 120 बी के तहत अपराध का संज्ञान लिया है। जो कि शिकायत मामला संख्या 2948/11 के संबंध में है और याचिकाकर्ता को उसकी उपस्थिति के लिए समन जारी किया था।"

4. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके और जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों पर भरोसा करके, याचिकाकर्ता के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित किया गया था।

5. 11.03.2019 को, अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से आगे की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए कि होने के बाद, विरोधी पक्ष नं. 2 ने स्वयं निचली अदालत के समक्ष एक समझौता याचिका दायर की है, विरोधी पक्ष सं.2 को नोटिस जारी किया था। समझौता याचिका की प्रति वर्तमान आवेदन के अनुलग्नक-2 के रूप में दर्ज है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि समझौता परिवाद वाद में ही दायर किया गया है और यह भूमि और याचिकाकर्ता सहित पक्षों के बीच इसके वितरण से संबंधित है, इस तथ्य के साथ कि समझौते में अनुरोध किया गया है कि उसकी शर्तों के

आधार पर परिवाद पत्र का निपटारा किया जाए, इसे जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

7. विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि आरोप दस्तावेजों की जालसाजी और कूटरचना के संबंध में है जो गैर-शमनीय है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि यह हस्तक्षेप का मामला बनता है।

9. यह मामला मूल रूप से भूमि विवाद से संबंधित है। याचिकाकर्ता के पक्ष में जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर बिक्री का पंजीकृत विलेख प्राप्त करने का आरोप है और उसके बाद विरोधी पक्ष सं. 2 स्वयं एक समझौता दायर करते हुए जिसमें प्रश्नगत भूमि सहित विभिन्न संपत्तियों को पक्षों के बीच विभाजित किया गया है और परिवाद के निपटान के लिए की जा रही प्रार्थना पर स्पष्ट रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्वान एपीपी उनके इस तर्क में सही है कि दस्तावेजों की जालसाजी और कूटरचना के संबंध में आरोप शमनीय नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता को परिवाद वाद को समाप्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष जाना पड़ा क्योंकि शायद नीचली अदालत समझौते के आधार पर कोई सकारात्मक आदेश पारित करने की स्थिति में नहीं होता। न्यायालय ने संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, जो न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के साथ-साथ न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए है, पाया कि मामला मूल रूप से भूमि/संपत्ति विवाद से संबंधित है और जिस पक्ष ने जालसाजी का आरोप लगाया है, वह खुद एक समझौते को प्राथमिकता दे रहा है और पक्षकारों के बीच अन्य भूमि के साथ प्रश्नगत भूमि का वितरण किया जा रहा है, वह शिकायत मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति देना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा।

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **योगेन्द्र यादव बनाम झारखण्ड राज्य, 2014(4) पी. एल. जे. आर. (एस. सी.) 518** के रूप में सूचित किया, जहाँ पैराग्राफ नं. 4 से 6 तक में, यह निम्नानुसार माना गया हैः

*"4. अब, इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह है कि क्या यह न्यायालय भा.दं.वि. की धारा 326 और 307 के तहत अपराधों शमन कर सकता है जो गैर-शमनीय हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो अपराध गैर-शमनीय हैं, उन्हें अदालत द्वारा शमन नहीं किया जा सकता है। न्यायालय संहिता की धारा 320 से अपराधों को शमन करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। उक्त प्रावधान सख्ती से पालन पालन होना चाहिए (**ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य**)। हालांकि, किसी मामले में, उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों ने अपने विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया है और पीड़ित को कोई आपत्ति नहीं है, भले ही अपराध गैर-शमनीय हों, में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है। जिन मामलों में उच्च न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, वे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे। जिन अपराधों में नैतिक अधमता, बलात्कार, हत्या आदि जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं, उन्हें कार्यवाही को रद्द करके समाप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे अपराधों को दो व्यक्तियों या दो समूहों तक सीमित नहीं कहा जा सकता है। यदि इस तरह के अपराधों को रद्द कर दिया जाता है, तो यह समाज को गलत संकेत भेज सकता है। हालाँकि, जब उच्च न्यायालय आश्वस्त हो जाता है कि अपराध पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और इसलिए, सार्वजनिक शांति या शांति को प्रभावित नहीं करते हैं और जहां उसे लगता है कि समझौते के कारण ऐसी कार्यवाही को रद्द करने से शांति आएगी और न्याय के उद्देश्य सुरक्षित होंगे, तो उसे*

उन्हें रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में अभियोजन एक कमजोर अभियोजन बन जाता है। इस तरह का कमजोर अभियोजन समय और ऊर्जा की बर्बादी होगी। यह समझौते को भी अस्थिर करेगा और शांति की बहाली में बाधा डालेगा।

*5. **ज्ञान सिंह** के मामले में इस न्यायालय ने कहा है कि जहां उच्च न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देता है कि अपराधी और पीड़ित के बीच विवाद का निपटारा किया गया है, हालांकि अपराध शमनीय नहीं हैं, वह ऐसा करता है क्योंकि उसकी राय में, आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना निरर्थकता में एक अभ्यास होगा और मामले में न्याय की मांग है कि पक्षों के बीच विवाद को समाप्त किया जाए और शांति बहाल की जाए; न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करना अंतिम मार्गदर्शक कारक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त टिप्पणियां इस न्यायालय पर भी लागू होती हैं।*

6. पक्षों के विद्वान वकील ने इस न्यायालय से अनुरोध किया है कि आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाए क्योंकि उच्च न्यायालय ने समझौता होने पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में कानून में सही स्थिति नहीं देखी है। इस न्यायालय में शिकायतकर्ता-अनिल मंडल द्वारा शपथ पत्र दायर किया गया है, जो इसमें प्रतिवादी संख्या 2 हैं। हलफनामे में उन्होंने कहा है कि निचली अदालत में एक समझौता याचिका दायर की गई है। यह आगे कहा गया है कि वह और अपीलार्थी पड़ोसी हैं, कि दोनों पक्षों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध हैं और वे शांति से रह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि वह वर्तमान अपील को चुनौती नहीं देना चाहते हैं और उन्हें अपीलार्थियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। पक्षों के विद्वान वकील ने पुष्टि की है कि पक्षों के बीच विवाद सुलझा लिए गए हैं; कि पक्ष समझौता विलेख का पालन कर रहे हैं और शांति से रह रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि इन

परिस्थितियों में लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए। झारखंड राज्य ने समझौते का विरोध करते हुए एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामा हमें अपीलार्थी और दूसरे प्रतिवादी द्वारा कार्यवाही को रद्द करने के लिए की गई प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए राजी नहीं करता है।"

11. इसे ध्यान में रखते हुए, आवेदन की अनुमति है। परिवाद वाद संख्या 2948/2011 से संबंधित पूरी आपराधिक कार्यवाही, 2011, कटिहार में निचली अदालत के समक्ष लंबित, जहां तक यह याचिकाकर्ता से संबंधित है, रद्द कर दिया जाता है।

(अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति)

पी. कुमार

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।